न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी भागीरथ शाख आर.ए.एस.)

विविध प्र0 सं0 01/2021

1. महेन्द्र पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी थिराना तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. बृजलाल पुत्र गुलाबराम जाति जाट निवासी थिरानी तहसील नोहर।
2. विनोद कुमार पुत्र श्री सोहनदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. काशीराम पुत्र श्री रामनारायण जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. महिपत पुत्र मुंशीराम जाति जाट गोदारा निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. सरपंच ग्राम पंचायत निमला तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पुनर्वलोकन विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.03.2021 प्रकरण सं0 34/2018 महेन्द्र बनाम बृजलाल

उपस्थितिः– श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता, प्रार्थी

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 26.4.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार से हैं :–

1. पुनरीक्षण निर्णय दिनांक 25.03.2021 प्रकरण स0 34/2018 बअनवानी महेन्द्र बनाम बृजलाल आदि बअदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरित है प्रथम द्रष्टया अपास्तनीय है।
2. न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय पारित करते समय निष्कर्ष के रूप में केवल एक पंक्ति जिसमें लिखा है कि पत्रावली पर अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड से स्पष्ट है कि पंचायत समिति प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा निर्णय पारित करते समय कोई कानूनी भूल नहीं की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते है। तथा निगरानी खारिज की जाती है। न्यायालय हाजा द्वारा केवल कानूनी भूल नहीं है कहकर सम्पूर्ण निगरानी के तथ्यों से छुटकारा प्राप्त कर लिया तथा न्यायालय हाजा द्वारा तथ्यात्मक भूल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तथा तथ्यों पर हुआ निष्कर्ष प्रथम सुनवाई कर्ता अदालत का कर्तव्य था की निगरानी के सारे साक्ष्यों को समझकर अपेक्षित सावधानी के साथ साक्ष्य का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

विश्लेषण कर उसका मूल्यांकन करना चाहिए था तथा न्यायालय हाजा द्वारा जो निर्णय दिया गया है उससे स्पष्ट हो जाना चाहिए था की सारे साक्ष्य को पूर्ण तथा समझकर उसका मूल्यांकन हुआ है परन्तु मातहत अदालत ने साक्ष्य का तुलनात्मक अध्ययन किये बिना ही निगरानीधीन निर्णय पारित किया है जिससे अभिलेख के मुखाग्र पर प्रत्यक्ष त्रुटि विद्यमान होना साबित है। जैसा कि माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा पारित श्रीमति पातू व अन्य बनाम डालुराम आर.डब्ल्यू.डी. 1997 (2) राज. पेज 986 में हेल्ड किया है। First appellate court should come to grip with the evidence led at the trial with the requisite case and attention and to analyse the evidence and then weight it the entire material evidence has been so grapsed and weighed must appar form the judgment itself.

3. न्यायालय हाजा द्वारा दोनों पक्षों के साक्ष्य का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया तथा न्यायालय हाजा तथ्यात्मक भूल का कोई हवाला नहीं दिया इसलिए न्यायालय हाजा का निर्णय खारीज फरमाया जाकर पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

4. न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी महेन्द्र का पटटा के आगे गली होना साबित नही था। केवल एक पक्षीय बिना मौका देखे जो स्टेडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी उसका सही माना है। जबकि पत्रावली पर आबादी का नक्शा पेश नहीं किया गया बिना आबादी नक्शे के स्टेण्डिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कानूनी तौर पर निर्णय पारित करना अवैधानिक एवं गलत है। तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रेमसिंह बनाम स्टेट आफ राजस्थान RLW 19884 P-393 में Held किया है। Vigilence Committee is having to legal existence it administrative machinery.

5. पत्रावली पर स्पष्ट था कि प्रशासन एवं स्थाई स्थापना सति के ग्राम पंचायत के सरपंच से कोई जवाब/साक्ष्य नहीं लिया तथा ग्राम सचिव की गली बाबत कोई रिपोर्ट तलब नहीं की आंशिक पटटा सही माना तथा आंशिक पटटा गलत माना है जबकि आंशिक सही माना है तो विधिक प्रकिया का प्रार्थी के द्वारा उल्लंघन होना साबित नहीं होता है इसलिए पुनर्विलोकन स्वीकार योग्य है।

6. स्टेण्डिंग कमेटी की रिपोर्ट कानूनी तौर से निर्णय का आधार नही हो सकती मातहत अदालत ने प्रश्नगत निर्णय पारित करते समय कानूनी भूल की है इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत नीमला के पास गली होने व ना होने का कोई सबूत तलब नही किया केवल ग्राम पंचायत के सबूत के तौर पर प्रार्थी का पटटा दिनांक 22.05.2017 था जिसमें कोई

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

गली नही थी। इसके अतिरिक्त सोहनदास, आसदास, निराणाराम स्वामी व सोहन ब्राहमण के पटटो का नाम जोख व कब्जा भूमि का नाप जोख नही किया पड़ोसी घरों की नाप लिये बिना केवल प्रार्थी अतिक्रमी मकान पटटा खारिज किया जो मातहत अदालतन ने बिना किसी विश्लेषण के पुनर्विलोकनहीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

7. पुनर्विलोकन प्रस्तति के समय प्रार्थी द्वारा प्रार्थी के घर का व आबादी गुगल मेप प्रस्तुत किया जा रहा है इसके अतिरिक्त सिविल कोर्ट का कमिश्नर रिपोर्ट व नजरी नक्शा जो सहवन से प्रस्तुत किये जाने से रह गया है जिसमें प्रार्थी के घर के आगे कोई गली नही है उक्त दस्तावेज पूर्व में प्रस्तुत नहीं किये जा सकें उस समय प्रार्थी को उक्त दस्तावेज ज्ञान में नहीं थे। नये दस्तावेज से स्पष्ट है कि प्रार्थी के घर के आगे कोई गली नहीं है।

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि पुनर्विलोकन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा जारी निर्णय दिनांक 25.03.2021 अपास्त फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.03.2021 द्वारा, प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 05.10.2018 को यथावत रखा गया है। निर्णय के निष्कर्ष में दस्तावेजों/साक्ष्यों पर गौर नहीं किया, एक लाईन का निर्णय पारित कर दिया। फाईडिंग भी नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय में अपील के संबंध में मौका भी एकपक्षीय देखा गया, ग्राम पंचायत का रेकार्ड भी तलब नहीं किया गया, ग्राम सचिव से भी रिपोर्ट नहीं ली गई। गली के अस्तित्व के संबंध में साक्ष्य नहीं प्राप्त कियें, पड़ौसियों के पटटो का नाप भी नहीं लिया गया। डिजिटल नक्शा पेश किया जिसमें गली नहीं है । ग्राम सेवक की गली बाबत रिपोर्ट तलब नहीं की है । निर्णय केवल एक लाईन में पारित किया, दस्तावेजों का विश्लेषण नहीं किया। अतः यह निर्णय की परिभाषा में नही आता। अतः प्रार्थना स्वीकार किया जावें। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने समर्थन में RLW 1997 Vol-2 पेज न0 986, RLW 1984 पेज न0 393 का न्यायिक दृष्टांत पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.03.2021 विधि सम्मत है। प्रार्थना पत्र उचित कारण पर आधारित नहीं है। रिव्यू का क्षेत्र सीमित है । पुनः निर्णय का अधिकार नहीं है। पारित निर्णय में रेकार्ड की त्रूटि जाहिर नहीं है, अतः कोई कानूनी भूल नहीं की है। विधिक या तथ्यात्मक गलती नहीं पाई गई है। निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में रेमेडी उपलब्ध है। प्रार्थी नया रेकार्ड पेश कर निर्णय कराना चाहते है। निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है। रेव्यू के माध्यम से निगरानी में पुनः निर्णय नहीं किया जा सकता अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने समर्थन में RBJ 2009 Vol-1 पेज न0 574, RRT 2007 Vol-2 पेज न0 832 का न्यायिक दृष्टांत पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया पत्रावली में उपलब्ध निर्णय, रेकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन के अनुसार विवादित पटटे से संबंधित मौका निरीक्षण से रिपोर्ट/दस्तावेजात का उचित विश्लेषण एवं उल्लेख निर्णय दिनांक 25.03.2021 में शामिल करने से रह गया । पंचायत से संबंधित रिकार्ड की तलबी के संबंध में भी विवेचन भी निर्णय में छुट गया उपरोक्त विश्लेषण के मध्यनजर न्यायहित में पुनर्वलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 25.03.2021 प्रकरण संख्या 34/2018 के पेज न0 5 के पैरा न0 2 व 3 को निम्नानुसार "पुनर्स्थापित" किया जाता है। **"निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.10.2018 को अपास्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारों की मौजूदगी में विवादित पटटे के भुखण्ड का पुनः मौका निरीक्षण कर ग्राम पंचायत से संबंधित रिकार्ड तलब कर पक्षकारों को साक्ष्य व सबूत पेश करने का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे"।**

अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटायी जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हों। निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 26.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/4/2022

(भागीरथ ... आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)